अध्याय १२

सड़कें

सड़कों का निर्माण, संधारण और सुधार

२७२. सार्वजनिक सड़कों का [ख१,][निगम] में निहित होना—(१) समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी विशेष र क्षण के अधीन रहते हुए नगर की सभी सड़कें, जो सार्वज़निक सड़कें हों या हो जायें, सिवाय उन सड़कों के जो निश्चित दिन पर राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई हों या जो उक्त दिन के पश्चात् [१][निगम] से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा निर्मित और संधारित की जायँ, उनकी मिट्टी, नीचे की मिट्टी (sub-soil) तथा किनारे की नालियों, पगडंडियों, खड़ंजों (side drains, footways, pavement), पत्थरों और उनके अन्य सामान के सहित [१][निगम] में निहित हो जायेंगे और मुख्य नगराधिकारी के नियंत्रण में रहेंगी।

(२) राज्य सरकार [१][निगम] से परामर्श करने के पश्चात् विज्ञप्ति द्वारा उक्त किसी सड़क को, उसकी मिट्टी, नीचे की मिट्टी तथा किनारे की नालियों, पगडंडियों, खड़ंजों, पत्थरों तथा उनके अन्य सामान सहित [१][निगम] के नियंत्रण से वापस ले सकती है।

२७३. सार्वजनिक सड़कों के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी का अधिकार—(१) मुख्य नगराधिकारी समय–समय पर सभी सार्वजनिक सड़कों का, जो [१][निगम] में निहित हों, समतल करायेगा, पक्की या खड़ंजे की करायेगा, उनमें नालियाँ बनवायेगा, उन्हें परिवर्तित करायेगा और उनकी मरम्मत करायेगा (levelled, metalled or paved, channelled, altered and repaired), जैसा कि उस समय अपेक्षित हो और समय–समय पर किसी सड़क को चौड़ी अथवा विस्तृत करा सकता है या अन्य प्रकार से भी उसमें सुधार करा सकता है या उसकी मिट्टी को ऊँची–नीची या परिवर्तित करा सकता है। वह पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिये बाड़े या खंभे भी लगवा सकता है और उसकी मरम्मत करा सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी किसी सार्वजनिक सड़क को चौड़ी करने, विस्तृत करने या उसमें अन्य सुधार करने या ऐसा कार्य जिसकी कुल लागत पाँच हजार रुपये से या इससे भी बड़ी ऐसी धनराशि से अधिक हो, जिसे [१][निगम] समय–समय पर निश्चित करे, तब तक नहीं करायेगा, जब तक कि ऐसा किया जाना [१][निगम] द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो।

(२) [१][निगम] की स्वीकृति से, जो तदर्थ प्रचलित नियमों और उपविधियों के अनुसार दी गई हो, मुख्य नगराधिकारी [१][निगम] में निहित किसी सम्पूर्ण सार्वजनिक सड़क को या उसके किसी भाग को मोड़ सकता है, उसका मार्ग बदल सकता है अथवा उसका सार्वजनिक उपयोग रोक सकता है या उसे स्थायी रूप से बन्द कर सकता है और उसके इस प्रकार बन्द किये जाने पर राज्य सरकार और [१][निगम] की पूर्व स्वीकृति से उस सड़क के या उसके उस भाग को, जो बन्द कर दिया गया हो, स्थल (site) का इस प्रकार निस्तारण कर सकता है (dispose of) मानो वह [१][निगम] में निहित कोई भूमि हो।

२७४. नयी सार्वजनिक सड़कें बनाने का अधिकार—मुख्य नगराधिकारी जब वह [ख२][निगम] द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किया गया हो, किसी भी समय—

(क) नयी सार्वजनिक सड़क का विन्यास कर सकता है और उसे बना सकता है ;

(ख) किसी व्यक्ति से उसकी भूमि से होकर सार्वजनिक प्रयोग के लिये या तो पूर्णतः उस व्यक्ति के व्यय से या अंशतः उस व्यक्ति के व्यय से और अंशतः [१][निगम] के व्यय से सड़क बनाने का करार कर सकता है और यह भी करार कर सकता है कि ऐसी सड़क पूरी हो जाने पर सार्वजनिक सड़क हो जायगी और [१][निगम] में निहित हो जायगी ;

(ग) नयी सार्वजनिक सड़क बनाने और उसके विन्यास के लिए सहायक सुरंगें, पुल, रपटें (causeways) और अन्य निर्माण कार्य (works) करा सकता है ;

(घ) [१][निगम] में निहित किसी वर्तमान सड़क या उसके किसी भाग को बदल सकता है या उसे मोड़ सकता है (divert or turn)।

२७५. नयी सार्वजनिक सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई—(१) [१][निगम], समय–समय पर सार्वजनिक सड़कों की विभिन्न श्रेणियों के लिए यातायात, जिसके उन सड़कों पर होने की संभावना है, के प्रकार (nature), स्थान (locality), जहाँ वे स्थित हैं, ऊँचाई, जहाँ तक सड़कों से लगे भवन बनाये जा सकते हैं तथा इसी प्रकार की अन्य बातों (considerations) के अनुसार न्यूनतम चौड़ाई निर्दिष्ट करेगा।

(२) धारा २७४ के अधीन बनाई गई किसी नयी सड़क की चौड़ाई उस चौड़ाई से कम न होगी, जो उपधारा (१) के अधीन उस श्रेणी के लिए विहित की गई हो, उसके अन्तर्गत वह आती हो और कोई सीढ़ियाँ तथा धारा २६३ के अधीन मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना अन्य बाहर निलके हुए भाग (projection) ऐसी सड़क के ऊपर बाहर न निकले रहेंगे, या सड़क तक आगे न बढ़े रहेंगे।

(३) मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से लिखित नोटिस द्वारा किसी भू–गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उपधारा (१) के अधीन नियत किसी सड़क की कम से कम चौड़ाई के भीतर स्थित बाहर निकले हुए भाग को हटावे या उसके संबंध में ऐसी कार्यवाही करे, जिसका वह निदेश दे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ बाहर निकला हुआ भाग विधितः खड़ा किया गया था या बनाया गया था, तो उस दशा में मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसे उसके हटाने या परिवर्तित करने से हानि या क्षति पहुँचे, प्रतिकर दिया जायगा।

२७६. किसी उपमार्ग, पुल, आदि को अपना लेने (to adopt) निर्मित करने या परिवर्तित करने का अधिकार—मुख्य नगराधिकारी [१][निगम] द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किये जाने पर किसी व्यक्ति के साथ—

(क) किसी वर्तमान या प्रस्तावित (projected) उपमार्ग (sub-way), पुल, उत्तर (viadct) या मेहराब और उन तक पहुँचने वाले मार्ग को अपनाने और संधारित करने का करार कर सकता है और तदनुसार ऐसे उपमार्ग, पुल, उतार या मेहराब और उन तक पहुँचने वाले मार्गों को सार्वजनिक सड़कों के मार्गों के रूप में या [१][निगम] में निहित सम्पत्ति के रूप में अपना सकता है और संधारित कर सकता है ; या

(ख) किसी ऐसे उपमार्ग, पुल, उत्तर या मेहराब के निर्माण या परिवर्तन के लिये या उनके शिलान्यास (foundations) और मजबूती (support) के लिये या उन तक पहुँचने वाले मार्गों के लिये अपेक्षित किसी पार्श्ववर्ती (adjoining) भूमि को या तो पूर्णतः उस व्यक्ति के व्यय से या अंशतः उसके व्यय से और अंशतः [१][निगम] के व्यय से क्रय करने या अर्जित करने के लिए इन्कार कर सकता है।

२७७. कुछ प्रकार के यातायात (traffic) के लिए सार्वजनिक सड़कों का प्रयोग प्रतिषिद्ध करने का अधिकार—(१) मुख्य नगराधिकारी के लिये [ख३][निगम] की स्वीकृति होने पर यह वैध (lawful) होगा कि वह—

(क) किसी सार्वजनिक सड़क विशेष पर, जो [१][निगम] में निहित हो, उसके या उसके किसी भाग के दोनों सिरों पर खंभे गाड़ कर वाहनों के यातायात (vehicular traffic) का प्रतिषेध करे, जिससे जनता की विपत्ति, अवरोध अथवा असुविधा (danger, obstruction or inconvenience) का निवारण हो सके ;

(ख) सभी सार्वजनिक सड़कों या विशेष सार्वजनिक सड़कों के सम्बन्ध में, सिवाय, समय संकर्षण या प्रचलन के ढंग (mode of traction or locomotion) पथ–परिवहन की सुरक्षा के लिये, उपकरणों (appliances) के प्रयोग, बत्तियों (lights) और सहायकों की संख्या और अन्य सामान्य पूर्वोपायों (precautions) और विशेष परिव्ययों के भुगतान के सम्बन्ध में ऐसी शर्तों के अधीन, जो प्रत्येक मामले में सामान्य रूप से या विशेष रूप से मुख्य नगराधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जायँ, किसी ऐसी वाहन के आने–जाने का प्रतिषेध कर, जिसका रूप, बनावट, भार या आकार ऐसा हो या जिन पर ऐसी भारी या बेसँभाल (unweildy) वस्तुएँ लदी हों कि उनसे सड़क–पथों (roadways) या उन पर बने किसी भवन आदि को क्षति पहुँचना संभव समझा जाय या ऐसी सडक या सड़कों पर, उनके ऊपर चलने वाले अन्य वाहनों या पैदल चलने वालों को खतरा या अवरोध (risk or obstruction) पहुँचना सम्भव समझा जाय।

(२) ऐसे प्रतिषेधों के जो उपधारा (१) के अधीन आरोपित किये जायँ, नोटिस सम्बद्ध सार्वजनिक सड़कों या उनके भागों के दोनों सिरों पर या उनके समीप प्रमुख स्थानों पर चिपका दिये जायेंगे, जब तक कि वे प्रतिषेध सामान्यतया सभी सार्वजनिक सड़कों पर लागू न हों।

२७८. सार्वजनिक सड़कों के सुधार के लिए भू–गृहादि को अर्जित करने का अधिकार—(१) इस अधिनियम के उपबन्ध तथा नियमों के अधीन रहते हुये मुख्य नगराधिकारी—

(क) किसी सार्वजनिक सड़क, पुल या उपमार्ग को खोलने, चौड़ा करने, बढ़ाने, बदलने या उसमें अन्यथा सुधार करने के प्रयोजन के लिये या किसी नई सार्वजनिक सड़क, पुल या उपमार्ग के बनाने के लिए अपेक्षित किसी भूमि और उस पर स्थित भवनों, यदि कोई हो, को अर्जित कर सकता है ;

(ख) उक्त भूमि और उस पर स्थित भवन, यदि कोई हों, के अतिरिक्त, ऐसी सभी भूमि को भी उस पर स्थित भवनों, यदि कोई हों, के सहित, जिसे ऐसी सड़क की नियमित पंक्ति (regular line) अथवा अभिप्रेत (intended) नियमित पंक्ति के बाहर अर्जित करना, उसे सार्वजनिक हित में इष्टकर प्रतीत हो, अर्जित कर सकता है ;

(ग) खंड (ख) के अधीन अर्जित किसी भूमि या भवन को पट्टे पर दे सकता है, बेच सकता है या अन्यथा निस्तारित (dispose of) कर सकता है।

(२) वाहनों के अड्डों के लिये स्थान की व्यवस्था करने, उसके विस्तार करने या उसमें सुधार करने के लिये भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह किसी सार्वजनिक सड़क की व्यवस्था करने, उसका विस्तार करने या उसमें सुधार करने के प्रयोजनार्थ किया गया भूमि का अर्जन है।

(३) उपधारा (१) के खंड (ग) के अधीन किसी भूमि या भवन के हस्तान्तरण–पत्र (conveyance) में वर्तमान भवन को हटाने, निर्मित किये जाने वाले नये भवन के विवरण (description), अवधि जिसमें

ऐसा नया भवन पूरा किया जायगा तथा उसी प्रकार के अन्य विषयों के सम्बन्ध में ऐसी शर्ते समाविष्ट की जा सकती हैं, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी उपयुक्त समझे।

२७६. सड़क की पंक्तियों (street lines) को विहित करने का अधिकार—(१) मुख्य नगराधिकारी किसी सार्वजनिक सड़क के एक या दोनों ओर पंक्ति (line) विहित कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी सार्वजनिक सड़क को प्रत्येक नियमित पंक्ति (line), जो नगर के किसी भाग में तत्समय प्रचलित (in force) किसी विधि के अधीन नियत दिन के ठीक पहले के दिन पर प्रवर्तित (operative) हो, के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह इस अधिनियम के अधीन विहित की गई पंक्ति है। जब तक कि इस धारा के अधीन मुख्य नगराधिकारी नई पंक्ति विहित न करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि जब कभी किसी वर्तमान पंक्ति या उसके किसी भाग के स्थान पर कई पंक्ति विहित करने का प्रस्ताव किया जाय तो कार्यकारिणी समिति का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(२) तत्समय विहित पंक्ति सड़क को नियमिति पंक्ति कहलायेगी।

(३) मुख्य नगराधिकारी एक पंजी (register) रखेगा, जिसमें नक्शे (plans) संलग्न रहेंगे, और उसमें ऐसी सभी सार्वजनिक सड़कें दिखाई जायेंगी जिनके सम्बन्ध में सड़क की एक नियमित पंक्ति विहित की गई हो और उस पंजी में ऐसे विवरण रहेंगे जो मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत हों और कोई भी व्यक्ति ऐसा शुल्क देने पर, जिसे कार्यकारिणी समिति समय–समय पर विहित करे, उस पंजी का निरीक्षण कर सकेगा।

(४) (क) उपधारा (५) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति सिवाय मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा तथा उन शर्तों के अनुकूलन, जो उसके सम्बन्ध में लगाई गई हों, सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर की भूमि पर किसी भवन के किसी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं करेगा और मुख्य नगराधिकारी प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें वह उक्त अनुज्ञा दे कार्यकारिणी समिति को अपने कारणों का प्रतिवेदन (report) भी लिखित रूप में भेजेगा।

(ख) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर कोई सीमा–भित्ति (boundary wall) या सीमा–भित्ति के किसी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी व्यक्ति से सीमा–भित्ति या उसके किसी भाग के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ६० दिन के भीतर मुख्य नगराधिकारी धारा २८२ के अधीन सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर भूमि अर्जित न कर सके तो उक्त व्यक्ति इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों तथा नियमों और उपविधियों के अधीन रहते हुए उस सीमा–भित्ति या उसके किसी भाग का यथास्थिति निर्माण या पुनर्निर्माण करा सकता है।

(५) (क) यदि मुख्य नगराधिकारी उपधारा (४) के खंड (क) के अधीन सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर स्थित भूमि पर किसी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिये अनुज्ञा दे देता है तो वह भवन के स्वामी को इस आशय का एक करार (agreement) निष्पादित करने का आदेश दे सकता है कि वह और उसके आगम उत्तराधिकारी (successor-in-title) इस बात के लिये बाध्य (binding) होंगे कि यदि मुख्य नगराधिकारी तत्पश्चात् किसी भी समय उससे या उसके किसी आगम उत्तराधिकारी से उक्त अनुज्ञा के अनुसार किये गये किसी निर्माण–कार्य को या उसके किसी भाग को लिखित नोटिस द्वारा हटाने की माँग करे तो वे उसके लिये किसी प्रतिकर का दावा न करेंगे और यदि वे उक्त निर्माण या उसका कोई भाग न हटायें जिसके कारण उसे मुख्य नगराधिकारी को हटाना पड़े तो वे उसे हटाये जाने के व्यय का भुगतान करेंगे।

(ख) मुख्य नगराधिकारी ऐसी अनुज्ञा देने के पूर्व स्वामी को [1][निगम] कार्यालय में ऐसी धनराशि जमा करने का आदेश दे सकता है जो उसकी राय में हटाये जाने के व्यय को और ऐसे प्रतिकर को, यदि कोई हो, जो उस भवन के आगम उत्तराधिकारी या हस्तान्तरणग्रहीता (transferee) को देय हो, पूरा करने के लिये पर्याप्त हो।

२८०. भवनों को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाना—(१) यदि कोई भवन या उसका कोई भाग जो सार्वजनिक सड़क से मिलता हो, सड़क को नियमित पंक्ति के भीतर हो, तो मुख्य नगराधिकारी जब कभी यह प्रस्तावित किया जाय कि—

(क) उस भवन को फिर से बनाया जाय या उसे उस सीमा तक नीचा किया जाय कि उसका आधे से अधिक भाग भूमि की सतह (ground level) के ऊपर रह जाये तो आधा भाग घनफुटों में नापा जायगा ; या

(ख) ऐसे भवन के, जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, किसी भाग को हटा दिया जाय, फिर से निर्मित किया जाय या उसमें कोई परिवर्द्धन किया जाय, या उसके ढाँचे में परिवर्तन किया जाय ;

उस भवन को नियमित पंक्ति तक पीछे हटाये जाने का आदेश दे सकता है।

(२) जब कोई भवन या उसका कोई भाग, जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, गिर पड़े या जल जाय, या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अन्यथा गिरा दिया जाय, तो मुख्य नगराधिकारी [1][निगम] की ओर से सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर की उस भूमि पर तुरन्त कब्जा कर सकता है जिस पर पहले से उक्त भवन रहा हो और यदि आवश्यक हो तो उसे साफ भी करवा सकता है ;

(३) इस धारा [1][निगम] के अधीन अर्जित भूमि तत्पश्चात् सार्वजनिक सड़क का भाग समझी जायगी और इस रूप में [1][निगम] में निहित हो जायगी।

२८१. भवनों को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाने की आज्ञा देने के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी का अतिरिक्त अधिकार—(१) यदि कोई भवन या उसका कोई भाग किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो और यदि मुख्य नगराधिकारी की राय में, भवन को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाना आवश्यक हो, तो वह, यदि धारा २८० के उपबन्ध लागू न होते हों, लिखित नोटिस द्वारा उस भवन के स्वामी को ऐसी अवधि के भीतर जो निर्दिष्ट की जाय, यह कारण बताने का आदेश दे सकता है कि वह भवन या उसका कोई भाग, जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, क्यों न गिरा दिया जाय और उक्त पंक्ति के भीतर की भूमि मुख्य नगराधिकारी द्वारा अर्जित क्यों न कर ली जाय।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन दिये गये नोटिस के अनुसार स्वामी ऐसे पर्याप्त कारण न बता सके, जिनसे मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो सके, तो मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से, स्वामी को लिखित नोटिस द्वारा ऐसे भवन या उसके भाग को, जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, ऐसी अवधि के भीतर गिराने का आदेश दे सकता है, जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाय।

(३) यदि उपधारा (२) के अधीन दिये गये नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, भवन का स्वामी ऐसे भवन या उसके किसी भाग को, जो उक्त पंक्ति के भीतर आता हो, न गिरा सके, तो मुख्य नगराधिकारी उसे गिरवा सकता है और ऐसा करने में हुए सभी व्ययों को स्वामी से वसूल कर सकता है।

(४) मुख्य नगराधिकारी [1][निगम] की ओर से सड़क की उक्त पंक्ति के भीतर स्थित भूमि के उस भाग पर भी अधिकार कर लेगा जिस पर पहले से उक्त भवन रहा हो और वह भूमि तत्पश्चात् सार्वजनिक सड़क का एक भाग समझी जायगी और इस रूप में [1][निगम] में निहित हो जायगी।

(५) इस धारा की कोई बात राज्य में निहित भवनों पर लागू नहीं समझी जायगी।

२८२. सड़क की पंक्ति के भीतर की खुली भूमि या ऐसी भूमि को अर्जित करना जिस पर प्लेटफार्म, आदि हों—यदि कोई भूमि, जो [रद्द.][निगम] में निहित न हो, चाहे वह खुली हुई हो या घिरी हुई (open or close), किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो और उस पर कोई भवन न हो या यदि कोई मंच, बरामदा, सीढ़ी, घेरे की दीवाल, आड़ (hedge) या मेड़ (fence) या किसी भवन के बाहर की कोई अन्य संरचना (structure) जो सार्वजनिक सड़क से लगी हुई हो, या किसी मंच, बरामदा, सीढ़ी, घेरे की दीवाल, आड़, मेड़ या उक्त अन्य संरचनाओं का कोई भाग उस सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, तो मुख्य नगराधिकारी उक्त भूमि या भवन के स्वामी को कम से कम पूरे चौदह दिन का अपने ऐसा करने के आशय का लिखित नोटिस देने के पश्चात् तथा इस बीच में प्रस्तुत किन्हीं आपत्ति–पत्रों की सुनवाई करने के पश्चात् [१][निगम] की ओर से उक्त भूमि और उसके बाड़े की दीवालें (enclosing wall), आड़ या मेड़, यदि कोई हो, या उक्त प्लेटफार्म, बरामदा, सीढ़ी या अन्य ढाँचे पर, जैसा कि ऊपर कहा गया है, या उक्त प्लेटफार्म, बरामदे, सीढ़ी या अन्य ऐसे ढाँचे के भाग पर, जैसा कि ऊपर कहा गया है, जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हों, अधिकार कर सकता है, और यदि आवश्यक हो तो उसे साफ भी करवा सकता है और इस प्रकार से अर्जित की गई भूमि तत्पश्चात् सार्वजनिक सड़क का एक भाग समझी जायगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि या भवन राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार में निहित हो, तो संबद्ध सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना पूर्वोक्त प्रकार से उसे अधिकार में नहीं लिया जायगा और यदि भूमि या भवन किसी ऐसे [१][निगम] में निहित हो, जो तत्समय प्रचलित किसी विधि के अनुसार संगठित किया गया हो (constituted) तो राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पूर्वोक्त प्रकार से उसे अधिकार में नहीं लिया जायगा।

२८३. भवन और भूमि के उन भागों को, जो सड़क की किसी नियमित पंक्ति के भीतर हों, अर्जित करने के पश्चात् उनके शेष भागों को अर्जित करना—(१) यदि कोई भवन या भूमि अंशतः सार्वजनिक सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो और यदि मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो जाय कि उक्त पंक्ति के भीतर पड़ने वाले भाग को अलग कर देने के बाद शेष भूमि किसी लाभप्रद प्रयोग के लिये उपयुक्त और ठीक न होगी तो वह स्वामी की प्रार्थना पर उक्त पंक्ति के भीतर पड़ने वाली भूमि के अतिरिक्त उक्त भूमि को भी अर्जित कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त (surplus) भूमि [१][निगम] में निहित सार्वजनिक सड़क का एक भाग समझी जायगी।

(२) तत्पश्चात् ऐसी अतिरिक्त (surplus) भूमि धारा २८४ के अधीन भवनों को आगे बढ़ाने (setting forward) के प्रयोजनार्थ काम में लायी जा सकती है।

२८४. भवनों को सड़क की पंक्ति तक आगे बढ़ाना—(१) यदि कोई भवन, जो सार्वजनिक सड़क से लगा हुआ हो (abuts), उस सड़क की नियमित पंक्ति के पृष्ठ भाग में हो तो जब कभी—

(क) उस भवन को फिर से बचाने का ; या

(ख) उस भवन में ऐसी रीति से परिवर्तन या मरम्मत करने का जिसमें उस भवन का या उसके उस भाग को जो उक्त सड़क से लगा हुआ हो (abuts), भूमि की सतह से ऊपर उस भवन या भाग के आधे भाग तक (जो आधा भाग घन फिटों में नापा जायगा) हटाया जाना या पुनर्निर्माण अन्तर्ग्रस्त हो, प्रस्ताव किया जाय, मुख्य नगराधिकारी किसी आज्ञा में, जिसे वह उस भवन के पुनर्निर्माण, परिवर्तन करने या मरम्मत करने के संबंध में जारी करे, यह अनुज्ञा दे सकता है या कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से आदेश दे सकता है कि उस भवन को सड़क की नियमित पंक्ति तक आगे बढ़ा दिया जाय।

(२) इस धारा के प्रयोजन के लिये कोई दीवाल, जो किसी भू–गृहादि को सार्वजनिक सड़क से अलग करती हो, भवन समझी जायगी और यदि उक्त पंक्ति के साथ–साथ कोई दीवाल ऐसे सामानों से और ऐसे नाप (dimensions) की बना दी जाय, जिसे मुख्य नगराधिकारी अनुमोदित करे, तो ऐसा करना उस अनुज्ञा या अपेक्षा का पर्याप्त अनुपालन समझा जायगा, जो किसी भवन को सड़क की नियमित पंक्ति तक बढ़ाने के लिये दी गई हो।

२८५. प्रतिकर दिया जायगा और उन्नति के परिव्यय (betterment charges) लगाये जायेंगे—(१) धारा २८०, २८१, २८२ या २८३ के अधीन किसी सार्वजनिक सड़क के लिये अपेक्षित किसी भूमि या भवन के स्वामी को, मुख्य नगराधिकारी द्वारा उसके भवन या भूमि को इस प्रकार अर्जित कर लेने के परिणामस्वरूप उसे जो हानि हो और मुख्य नगराधिकारी द्वारा गई आज्ञा के परिणामस्वरूप ऐसे स्वामी द्वारा जो व्यय किया गया हो, उसका प्रतिकर दिया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

(१) ऐसी अवशिष्ट (remainder) संपत्ति के जिसका इस प्रकार अर्जित किया गया भवन या भूमि एक भाग थी, मूल्य में इस संपत्ति को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाने में, जो वृद्धि या कमी होने की संभावना हो, उस पर उक्त प्रतिकर की धनराशि निर्धारित करने में विचार किया जायगा और उसका संधान किया जायगा (allowed for) :

(२) यदि मूल्य में ऐसी वृद्धि उस क्षति की धनराशि से अधिक हो, जो उक्त स्वामी को हुई हो या जो उसने व्यय की हो, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे स्वामी से ऐसी वृद्धि की आधी धनराशि उन्नति के परिव्यय (betterment charges) के रूप में वसूल कर सकता है।

(२) यदि धारा २८४ के अधीन किसी भवन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य नगराधिकारी द्वारा दी गयी आज्ञा के परिणामस्वरूप उस भवन के स्वामी को कोई क्षति या हानि हो, तो उसे मुख्य नगराधिकारी द्वारा ऐसी क्षति या हानि के लिए, भवन को आगे बढ़ाने से उसके मूल्य में किसी संभावित वृद्धि का विचार करने के पश्चात् प्रतिकर दिया जायगा।

(३) यदि अतिरिक्त भूमि जो किसी ऐसे व्यक्ति के भू–गृहादि में सम्मिलित की जायगी जिसे धारा २८४ के अधीन किसी भवन को आगे बढ़ाने का आदेश या अनुमति दी गई हो, रद्द[निगम] की हो, तो भवन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा या अनुज्ञा उस भूमि के उक्त स्वामी के लिए पर्याप्त हस्तान्तरण (conveyance) होगी और ऐसी अतिरिक्त भूमि मूल्य और हस्तान्तरण (conveyance) के अन्य निबन्धन और शर्तें (terms and conditions) उक्त आज्ञा या अनुज्ञा में निर्धारित कर दी जायेगी।

(४) यदि मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी भवन को आगे बढ़ाने की अपेक्षा करने पर, भवन का स्वामी [निगम] को दिये जाने के लिए निश्चित किये गये मूल्य या हस्तान्तरण के अन्य निबन्धनों या शर्तों के संबंध में असन्तुष्ट हो, तो मुख्य नगराधिकारी, उक्त स्वामी को उक्त निबन्धन और शर्तें भेजने के पश्चात् १५ दिन के भीतर किसी भी समय स्वामी के प्रार्थना–पत्र भेजने पर, मामले के निर्धारण के लिए न्यायाधीश के पास भेज सकता है।

निजी सड़कों के संबंध में उपबन्ध

२८६. भवन के रूप में भूमि का निस्तारण करते समय सड़क बनाने के लिए स्वामी का आभार—यदि किसी भूमि का स्वामी उस भूमि या उसके किसी भाग या भागों को भवनों के निर्माण के लिए स्थलों (sites) के रूप में उपयोग करें, या उन्हें बेचे, या पट्टे पर दे या अन्यथा उनका निस्तारण करे, तो वह ऐसी दशाओं को छोड़कर जब ऐसा स्थल या ऐसे स्थल किसी वर्तमान सरकारी या निजी सड़क से मिले हुए

हों, ऐसी सड़क या सड़कों या मार्ग या मार्गों का विन्यास करेगा और उन्हें बनायेगा जो उक्त स्थल या स्थलों तक पहुँचते हों और किसी वर्तमान सरकारी या निजी सड़क से मिलते हों।

२८७. भवनों और निजी सड़कों के लिए भूमि का विन्यास करने के लिए नोटिस—(१) यदि किसी व्यक्ति का विचार—

(क) किसी भूमि को किसी क्रेता (purchaser) या पट्टागृहीता (lessee) को इस प्रसंविदा (covenant) या करार के अधीन बेचने पर पट्टे पर देने का हो कि वह उस पर भवन बनायेगा,

(ख) भूमि को (चाहे उस पर कोई भी निर्माण न हो, या अंशतः निर्माण हो) भवन के लिए गाटों (plots) में बाँटने का हो ; या

(ग) किसी भूमि या उसके किसी भाग को भवन के प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाने की अनुज्ञा देने का हो ; या

(घ) किसी निजी सड़क को बनाने या उसका विन्यास करने का हो, चाहे जनता को उस सड़क पर से आने–जाने या वहाँ तक पहुँचने की अनुज्ञा देने का विचार हो या न हो, तो वह नियमों और उपविधियों में उल्लिखित रीति से अपने विचार का लिखित नोटिस मुख्य नगराधिकारी को देगा।

(२) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (१) के अधीन दिये गये नोटिस पर उस रीति से कार्यवाही करेगा, जो नियमों और उपविधियों में विहित हों और ऐसे सामान्य आदेशों के अधीन जो कार्यकारिणी समिति एतदर्थ समय–समय पर दें, भवनों के लिए भूमि का विन्यास, प्रत्येक भवन के गाटे की लम्बाई–चौड़ाई (dimensions) और क्षेत्रफल, प्रत्येक निजी सड़क का तल (level), दिशा (direction), चौड़ाई और जल–निस्सारण के साधन, ऐसी सड़कों के किनारे लगाये और पोषित किये जाने वाले पेड़ों की किस्म और संख्या, ऐसी भूमि पर या ऐसी सड़क के दोनों किनारों पर बनाये जाने वाले सभी भवनों की ऊँचाई, जल निस्सारण के साधन और उनका संवीजन (ventilation) और उनमें पहुँचने के मार्ग निर्धारित करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि मुख्य नगराधिकारी उपधारा (१) के अधीन प्राप्त नोटिस अथवा नियमों के अधीन माँगे गये नक्शे, खंड, ब्योरे, योजनायें या अतिरिक्त सूचनायें, यदि कोई हों, प्राप्त होने के पश्चात् साठ दिन तक उस व्यक्ति को जिसने नोटिस दिया, विषयों में से किसी के सम्बन्ध में अपनी असहमति सूचित करने में उपेक्षा या चूक करता है, तो ऐसे व्यक्ति लिखित संसूचना द्वारा अपेक्षा या चूक की ओर मुख्य नगराधिकारी का ध्यान आकर्षित कर सकता है और यदि वह उपेक्षा या चूक मुख्य नगराधिकारी द्वारा लिखित सूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीन दिन की अतिरिक्त अवधि तक जारी रहती है तो समझा जायगा कि उक्त व्यक्ति की प्रस्थापनाएँ मुख्य नगराधिकारी द्वारा अनुमोदित कर ली गई है :

और प्रतिबन्ध यह भी है कि यहाँ अन्तर्विष्ट किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जायगा कि उससे किसी व्यक्ति को अधिनियम अथवा किन्हीं उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करने का अधिकार मिल जाता है।

(३) यदि मुख्य नगराधिकारी उक्त निर्माण–कार्यों के संबंध में कुछ शर्तों के अधीन या बिना किसी शर्त के अपना अनुमोदन (approval) लिखित रूप से किसी व्यक्ति को सूचित कर दे या यदि उक्त निर्माण–कार्य पूर्वोक्त रूप में मुख्य नगराधिकारी द्वारा अनुमोदित समझा जाय तो उक्त व्यक्ति उपधारा (१) मुख्य नगराधिकारी को नोटिस मिलने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर किसी समय नोटिस में या पूर्वोक्त किसी लेख्य (document) में दिये गये आशय (intention) के अनुसार और मुख्य नगराधिकारी द्वारा विहित शर्तों के अनुसार यदि कोई हों, उक्त निर्माण–कार्य के संबंध में कार्यवाही कर सकता है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी नियम या उपविधि का उल्लंघन हो जाय।

२८८. नोटिस की समाप्ति तक भवन निर्माण के लिए भूमि का उपयोग और निजी सड़क का विन्यास नहीं किया जायगा— (१) कोई व्यक्ति तब तक किसी भूमि को, चाहे उसका विकास न हुआ हो या अंशतः हुआ हो, भवन निर्माण के लिए न बेचेगा, न पट्टे पर देगा, न प्रयोग करेगा या न उसके प्रयोग की अनुमति देगा, न ऐसी किसी भूमि को भवन के गाटों में बाँटेगा, न किसी निजी सड़क को बनायेगा, न उसका विन्यास करेगा—

(क) जब तक कि धारा २८६ के उपबन्धों का पालन न किया गया हो ;

(ख) जब तक कि उस व्यक्ति न धारा २८७ में की गयी व्यवस्था के अनुसार अपने आशय का पहले ही लिखित नोटिस न दे दिया हो और जब तक कि ऐसा नोटिस दिये जाने के पश्चात् ६० दिन समाप्त न हो गये हों और जब तक उक्त कार्य उन आदेशों के (यदि कोई हों), जो धारा २८७ की उपधारा (२) के अधीन निश्चित और अवधारित किये गये हों, अनुकूल न हों ;

(ग) जब कि धारा २८७ की उपधारा (३) में निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि समाप्त हो गयी हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसे धारा २८७ की उपधारा (३) के अधीन किसी निर्माण–कार्य करने का अधिकार हो उसमें निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा न कर सके, तो किसी भी समय उस निर्माण–कार्य को संपादित करने के अपने आशय का नये सिरे से नोटिस दे सकता है और ऐसा नोटिस धारा २८७ की उपधारा (१) के अधीन दिये नये सिरे से दिया गया नोटिस समझा जायगा।

(घ) जब तक कि वह व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी को उस दिनांक का लिखित नोटिस न दे जिस पर वह कोई ऐसे निर्माण कार्य के संबंध में कार्यवाही करना चाहता है, जिसे करने का उसे अधिकार है और नोटिस में उल्लिखित दिनांक से सात दिन के भीतर उस निर्माण–कार्य को आरम्भ न कर दे।

(२) यदि इस धारा का उल्लंघन करके कोई कार्य किया जाय या उसे करने की अनुज्ञा दी जाय, तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा ऐसे कार्य करने वाले या करने की अनुज्ञा देने वाले किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह—

(क) उस दिन को या उससे पहले, जो उस नोटिस में निर्दिष्ट किया जायगा, ऐसे लिखित कदम द्वारा, जिस पर उसने एतदर्थ हस्ताक्षर किये हों और जो मुख्य नगराधिकारी को संबोधित हो, इस बात का कारण बताये कि इस धारा का उल्लंघन करके जो विन्यास, गाटा, सड़क या भवन बनाया गया है, उसे मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार क्यों न बदल दिया जाय, या यदि ऐसा करना उसकी राय में अव्यवहारिक हो तो वह सड़क या भवन क्यों न गिरा या हटा दिया जाय, या भूमि उसी स्थिति में क्यों न कर दी जाय, जैसी कि वह अनधिकृत निर्माण कार्य से संपादित किये जाने के पहले थी ; या

(ख) स्वयं या किसी ऐसे अभिकर्त्ता द्वारा जिसे उसने एतदर्थ यथावत् प्राधिकृत किया हो, ऐसे दिन, समय और स्थान पर जो उस नोटिस में निर्दिष्ट किया जायगा, उपस्थित हो और पूर्वोक्त रूप से कारण बताये।

(३) यदि वह व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार यह कारण न बता सके कि वह सड़क या भवन उक्त रूप में क्यों न बदल दिया जाय, गिरा दिया जाय या हटा दिया जाय या वह भूमि उक्त पूर्व स्थिति में क्यों न कर दी जाय, तो मुख्य नगराधिकारी बदलवाने, गिराने, हटाने या भूमि को उक्त स्थिति में करने का कार्य करा सकता है और उसका व्यय उक्त व्यक्ति द्वारा अदा किया जायगा।

(४) धारा २८६ के उपबन्धों के उल्लंघन की दशा में मुख्य नगराधिकारी उपधारा (३) में वर्णित कार्यवाही करने के बदले कोई सड़क या सड़कों, मार्ग या मार्गों को बना सकता है, जो धारा २८६ में निर्दिष्ट स्थल या स्थलों तक पहुँचे और किसी वर्तमान सरकारी या निजी सड़क से मिल जाय तथा ऐसे करने में किये गये व्यय की धनराशि स्थल अथवा स्थलों के स्वामी या स्वामियों से ऐसे अनुपात तथा ऐसी रीति से वसूल करेगा जो निर्धारित की जाय।

२८६. निजी सड़कों तथा पहुँचने के साधनों का समतल किया जाना और उनकी जल–निस्सारण व्यवस्था–(१) यदि कोई निजी सड़क या किसी भवन तक पहुँचने का कोई अन्य साधन मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार समतल, पक्का, चौरस, पत्थर का (flagged) या खंड़जों (paved) का या नालों या नालियों तथा मोरियों (sewaged, drained channelled) सहित न बनाया गया हो, या जिसमें रोशनी या छाया के लिए वृक्षों की व्यवस्था न की गयी हो, तो वह कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से लिखित नोटिस द्व ारा उन भू–गृहादि के, जो उक्त सड़क या पहुँच के अन्य साधनों के सामने पड़ते हों या उनसे सटे हों या उनसे लगे हुये हों (abutting) या जिन तक पहुँचने का मार्ग ऐसी सड़क या पहुँच के अन्य साधनों से होकर बनाया गया हो या जिन्हें इस धारा के अधीन संपादित निर्माण–कार्यों से लाभ पहुँचेगा, स्वामी या अनेक स्वामियों को पूर्वोक्त अपेक्षाओं में से किसी एक या एकाधिक को ऐसी रीति से पूरा करने का आदेश दे सकता है जो वह आदिष्ट करे।

(२) यदि नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर और निर्दिष्ट रीति से उपर्युक्त अपेक्षा या अपेक्षाओं को पूरा न किया जाय तो मुख्य नगराधिकारी यदि उचित समझे, उसे पूरा कर सकता है और उसका व्यय चूक करने वाले स्वामी या स्वामियों से अध्याय २१ के अधीन वसूल किया जायगा।

(३) यदि वसूली चूक करने वाले दो या दो से अधिक स्वामियों से की जानी हो तो वह इस आधार पर कि उनके भू–गृहादि का कितना भाग सामने पड़ता है और ऐसे अनुपात में की जायगी जो कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित किया जाय।

२६०. निजी सड़कों को सरकारी सड़क घोषित करने का अधिकार–(१) जब कोई निजी सड़क मुख्य नगराधिकारी के संतोषानुसार समतल, पक्की, चौरस, पत्थर की या खंड़जों की या नालों, नालियों तथा मोरियों सहित बनायी गयी हो और ठीक कर दी गई हो, तो वह यदि रोशनी के खंभे (lamp posts) और उस सड़क पर रोशनी के लिए अन्य आवश्यक स्थिर–यंत्रों (apparatus) की व्यवस्था उसके संतोषानुसार की गयी हो, उस सड़क को सरकारी सड़क घोषित कर सकता है और उस सड़क के स्वामियों या स्वामी को प्रार्थना पर यह घोषित करेगा कि उक्त निजी सड़क, सरकारी सड़क है। यह घोषणा ऐसी सड़क के किसी भाग पर लिखित नोटिस लगाकर की जायगी और तत्पश्चात् वह निजी सड़क सार्वजनिक सड़क हो जायगी और उसी रूप में [ख७][निगम] में निहित हो जायगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा नोटिस लगाने के पश्चात् एक मास के भीतर उस सड़क का या उसके वृहत्तर भाग का स्वामी मुख्य नगराधिकारी को लिखित नोटिस देकर इस संबंध में आपत्ति करे तो वह सड़क सार्वजनिक सड़क नहीं होगी।

(२) मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसी सड़क के जो सार्वजनिक सड़क न हो और उपधारा (१) के अधीन न आती हो, किसी भाग पर लिखित रूप से सार्वजनिक नोटिस लगाकर उसे सार्वजनिक सड़क घोषित करने के अपने आशय की सूचना दे सकता है। ऐसे नोटिस के इस प्रकार लगाये जाने के पश्चात् दो मास के भीतर उस सड़क के स्वामी उक्त नोटिस के विरुद्ध [१][निगम] के कार्यालय में आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यकारिणी–समिति प्रस्तुत की गयी आपत्तियों पर विचार करेगी और यदि वह उन्हें अस्वीकृत कर दे तो मुख्य नगराधिकारी उस सड़क या उस भाग पर अतिरिक्त नोटिस लगाकर उसे सार्वजनिक सड़क घोषित करेगा।

२६१. किसी सड़क के अंशतः सार्वजनिक और अंशतः निजी होने की दशा में धारा २८६ और धारा २६० का लागू होना—यदि किसी सड़क का केवल कुछ भाग ही सार्वजनिक सड़क हो तो उस सड़क का शेष भाग धारा २८६ और धारा २६० के समस्त प्रयोजनों के लिए निजी सड़क समझा जा सकता है।

बाहर निकले हुए भाग और अवरोधक

२६२. सड़कों, आदि पर बाहर निकले हुए भागों का प्रतिषेध—(१) धारा २६३ में की गई व्यवस्था के अननुकूल, कोई व्यक्ति किसी भू–गृहादि से सटाकर (against) या उसके सामने कोई ऐसी संरचना या स्थापक (structure or fixture) न निर्मित करेगा, न लगायेगा, न बढ़ायेगा, और न रखेगा, जायेगा—

(क) किसी सड़क के ऊपर लटकता हो, जिसका कोना उसके आगे बढ़ा हुआ हो या उसके ऊपर निकला हो (Jut or project into) या जो किसी भी प्रकार से उसका अतिक्रमण करता हो या जो किसी भी प्रकार से सड़क पर जनता के सुरक्षित या सुविधाजनक गमनागमन को अवरुद्ध करता हो ; या

(ख) किसी सड़क की किसी नाली या खुली नाली के आगे बढ़ा हुआ हो या उसके ऊपर हो, या उनका अतिक्रमण करता हो जिससे ऐसी नाली या खुली नाली के प्रयोग या उसके ठीक से काम करने में किसी प्रकार की बाधा पड़ती हो या उसके निरीक्षण या सफाई कार्य को अवबाधित (impede) करता हो।

(२) मुख्य नगराधिकारी किसी भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी (occupier) से लिखित नोटिस द्वारा ऐसे किसी ढाँचे या संलग्नक को, जो उक्त भू–गृहादि से सट कर या उसके सामने इस धारा का या नियत दिन के ठीक पहले दिन नगर में प्रचलित किसी विधि का उल्लंघन करके निर्मित किया गया हो, लगाया गया हो, बढ़ाया गया हो या रखा गया हो, हटाने या उसके संबंध में अन्य ऐसी कार्यवाही करने की, जिसका व आदेश दे, अपेक्षा कर सकता है।

(३) यदि उक्त भू–गृहादि का अध्यासी उस नोटिस के अनुसार किसी ढाँचे या संलग्नक को हटाये या बदले तो उसे जब तक कि उक्त ढाँचा या संलग्नक स्वयं उसके द्वारा निर्मित किया गया, लगाया गया या रखा गया न हो तो उक्त नोटिस के पालन करने में सभी उचित व्ययों को भू–गृहादि के स्वामी के खाते में डालने का अधिकार होगा।

(४) यदि कोई ऐसा ढाँचा या संलग्नक, जिसका उल्लेख उपधारा (१) में किया गया है किसी भू–गृहादि से सटाकर या सामने १ अप्रैल, १६०१ के पहले किसी समय निर्मित किया गया हो, लगाया गया हो, बढ़ाया गया हो, या रखा गया हो तो मुख्य नगराधिकारी उक्त भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को लिखित रूप से नोटिस दे सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी ऐसे मामले में ढाँचा या संलग्नक वैध रूप से (lawfully) निर्मित किया गया हो, लगाया गया हो, बढ़ाया गया हो या रखा गया हो, तो मुख्य नगराधिकारी द्वारा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिकर दिया जायगा जिसे उसके हटाने या बदलने से हानि या क्षति पहुँचे।

टिप्पणी

नोटिस के बिना छज्जे के हटाये जाने का प्रभाव—कोई भी निर्माण जो किसी भी प्रकार किसी मार्ग के ऊपर लटक रहा हो या ढक लेता हो और जेा किसी भी प्रकार सर्वसाधारण को मार्ग से सुरक्षित रूप से गुजरने में बाधक हो, निकला हुआ भाग (projection) होता है, उसको बिना नोटिस के हटाया नहीं जा सकता। [*लोधाराम* बनाम *न०म०पा०, कानपुर, १६८१* यू०पी०एल०बी०ई०सी० ११६ : १६८६ (६) ए०एल०आर० ६३५ : १६८० ए०डब्ल्यू०सी० ५२ : १६८० ए०एल०जे० १०८७]।

२६३. कुछ दशाओं में सड़कों के ऊपर बाहर निकले हुए भागों की अनुमति दी जा सकती है—(१) मुख्य नगराधिकारी ऐसे निबन्धनों पर, जिन्हें वह प्रत्येक मामले में उचित समझेगा, सड़क से लगे हुए किसी भवन के स्वामी या अध्यासी को—

(क) उस सड़क या उसके किसी भाग पर बरसाती कमाचा (arcade) ; या

(ख) किसी सड़क या उसके भाग के ऊपर या उसके आर–पार (over or across), बरामदा, छज्जा, मेहराब, योगमार्ग (connecting passage), बरसाती (sun shade), ऋतुसूचक ढाँचा (weather frame), छत्र (canopy), तिरपाल (awning), या अन्य ऐसा ही ढाँचा या वस्तु, जो किसी मंजिल (storey) से बाहर निकली हो, बनाने की लिखित अनुमति दे सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी ऐसी सार्वजनिक सड़कों पर बरसाती कमाचा (arcade) बनाने की अनुमति नहीं दी जायगी, जिस पर उसे बनाने की स्वीकृति सामान्तया [७८] [निगम] द्वारा न दी गई हो अथवा जब किनारों के बीच की चौथाई ६० फीट से कम हो।

(२) इस धारा के अधीन दी गयी अनुमति के निबन्धनों के अधीन और उसके अनुसार निर्मित किये गये या रखे गये किसी बरसाती कमाचे, बदामदे, छज्जे, मेहराब, योगमार्ग, बरसाती, ऋतुसूचक, छत्र, तिरपाल या अन्य ढाँचा या वस्तु पर धारा २६२ के उपबन्ध लागू नहीं समझे जायेंगे।

(३) मुख्य नगराधिकारी किसी भी समय लिखित नोटिस द्वारा किसी भवन के स्वामी या अध्यासी को उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार बनाये गये बरामदे, छज्जे, बरसाती, ऋतुसूचक ढाँचे में ऐसी ही किसी वस्तु के हटाने का आदेश दे सकता है, और वह स्वामी या अध्यासी तदनुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा किन्तु उसे इस प्रकार हटाने के कारण हुई हानि तथा उस पर किये गये व्यय के लिए प्रतिकर पाने का अधिकार होगा।

२६४. सबसे नीचे की मंजिल के दरवाजे, आदि सड़कों पर बाहर की ओर नहीं खुलने चाहिए—(१) कोई दरवाजा, फाटक, परदा (bar) या सबसे नीचे के मंजिल की खिड़की मुख्य नगराधिकारी से बिना अनुज्ञप्ति (licence) लिये हुए इस प्रकार लटकायी या र खी न जायगी कि वह किसी सड़क पर बाहर की ओर खुले।

(२) मुख्य नगराधिकारी किसी भी लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसे भू–गृहादि के, जिसके सबसे नीचे की मंजिल का कोई दरवाजा, फाटक, परदा या खिड़की, किसी सड़क पर बाहर की ओर, या ऐसी भूमि पर, जो सड़क के सुधार के लिए आवश्यक हो, उस रीति से खुलती हो उससे मुख्य नगराधिकारी की राय में उस सड़क के ऊपर जनता के सुरक्षित और सुविधाजनक गमनागमन अवरुद्ध होते हों, स्वामी को आदेश दे सकता है कि वह उस दरवाजे, फाटक, परदे या खिड़की को इस प्रकार बदलवाये कि वह बाहर की ओर न खुले।

२६५. सड़कों के संबंध में अन्य प्रतिषेध—(१) कोई व्यक्ति धारा २६३ या ३०० के अधीन मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के अनुकूल किसी सड़क में या उसके ऊपर या किसी सड़क की किसी खुली नाली (channel), नाली, कुयें या तालाब पर या उसके ऊपर कोई दीवाल, मेंड़, (fence), कटघरा (rail), खम्भा, सीढ़ी, छप्पर या अन्य ढाँचा, चाहे वह स्थिर हो या चल (fixed or movable) और चाहे स्थायी या अस्थायी प्रकार का हो या कोई संलग्नक (fixture) न इस प्रकार निर्मित करेगा और न लगायेगा कि उस सड़क, खुली नाली, कुएँ या तालाब के लिए कोई अवरोध हो या उसका अतिक्रमण हो या वह उस पर आगे निकला हो, उसके ऊपर बाहर निकला हो या उसके किसी भाग को घेरे हुए हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात ऐसी किसी निर्माण (erection) या वस्तु पर लागू नहीं समझी जायगी जिस पर धारा ३०२ की उपधारा (१) का खंड (ग) लागू होता हो।

(२) कोई व्यक्ति, बिना मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के—

(क) किसी सड़क पर या किसी सड़क की खुली नाली (channel), पनाली (drain) या कुएँ पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर, कोई दूकान (stall), कुरसी, बेंच, बक्स, सीढ़ी, सामान का गट्ठर (bale) या कोई भी अन्य वस्तु इस प्रकार न रखेगा या जमा करेगा कि उससे उस पर अवरोध हो या उसका अतिक्रम (encroachment) हो ;

(ख) किसी सड़क के ऊपर, या किसी सड़क की किसी खुली नाली, पनाली, कुयें या तालाब के ऊपर किसी भवन की कुरसी (plinth) की रेखा (line) के आगे कोई तख्ता या कुरसी (chair) सड़क के धरातल से १२ फीट से कम की ऊँचाई पर बाहर नहीं निकलेगा ;

(ग) किसी सड़क से लगी हुई दीवाल या भवन के भाग से पूर्वोक्त ऊँचाई से कम ऊँचाई पर कोई भी वस्तु न लगा सकता है और न लटका सकता है (attached to or suspend from) :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (क) की कोई बात भवन सामग्री (building material) पर लागू नहीं होती।

(३) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक सड़क पर किसी पशु को न बाँधेगा और न अपने परिवार या घर के किसी सदस्य को बाँधने देगा और न बाँधने की अनुमति देगा। पूर्वोक्त रूप में बाँधा गया कोई पशु मुख्य नगराधिकारी या [खः] [निगम] के पदाधिकारी या नौकर द्वारा हटाया जा सकता है और वह उसके सम्बन्ध में वही कार्यवाही करेगा जो छूटे हुये (stray) पशुओं के संबंध में की जाती है।

२६६. मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसी वस्तु को जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके निर्मित की जाय, जमा की जाय या फेरी से बेची जाय या बिक्री के लिए प्रदर्शित की जाय, बिना नोटिस के हटा सकता है—मुख्य नगराधिकारी, बिना नोटिस दिये निम्नलिखित को हटा सकता है—

(क) कोई ऐसी दीवाल, मेंड़ (fence), कठघरा (rail), सीढ़ी, छप्पर (booth) या अन्य ढाँचा, चाहे वह स्थिर हो या चल और चाहे वह स्थायी प्रकार का हो या स्थायी, या कोई ऐसा स्थापक (fixture) जो किसी सड़क में या उसके ऊपर या किसी खुली नाली, पनाली, कुएँ या तालाब पर या उसके ऊपर इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल नियत दिन के पश्चात् निर्मित या संस्थापित किया जाय ;

(ख) कोई दुकान (stall) कुर्सी, बेंच, बक्स, सीढ़ी, सामान का गट्ठर, तख्ता या आलमारी, या अन्य कोई भी वस्तु, जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके किसी स्थान पर रखी गयी हो, किसी स्थान में जमा की गई हो, किसी स्थान से बाहर निकली हो, किसी स्थान से संलग्न हो या किसी स्थान पर लटका दी, निकाल दी गई हो ;

(ग) कोई भी वस्तु, जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी सार्वजनिक सड़क में, इस अधिनियम का उल्लंघन करके फेरी से बेची जाय या बिक्री के लिए प्रदर्शित की जाय और कोई वाहन, बंडल (package), बक्स या ऐसी कोई अन्य वस्तु जिसमें या जिन पर ऐसी वस्तु रखी हो।

टिप्पणियाँ

अन्य निर्माण—किसी सार्वजनिक मार्ग पर ऊपर लटका रहने वाला छज्जा इस धारा के अन्तर्गत नहीं आता। [*लोधराम* बनाम *न०म०पा०, कानपुर,* १९८१ यू०पी०एल०बी०ई०सी० ११६।]

निर्माण का हटाया जाना—अधिकारिता—किसी मार्ग के ऊपर किसी निर्माण को इस अधिनियम के अधीन बिना नोटिस के हटाने की अधिकारिता नगर निगम को प्राप्त है। [*मुहम्मद अमीन* अमीन *न०म०पा०,* १९८२ यू०पी०एल०बी०ई०सी० ७१७]।

२९७. झाड़ियों और पेड़ों को छाँटने के लिए आदेश देने का अधिकार—मुख्य नगराधिकारी नोटिस द्वारा किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी को, या उस पर उगी हुई और सड़क के पास की झाड़ियों को, या उस पर लगे हुए पेड़ों की ऐसी शाखाओं को जो सड़क के ऊपर लटकती हों और से अवरुद्ध करती हों या जिनसे संकट उत्पन्न होता हो, काटने या छाँटने का आदेश दे सकता है।

२९८. दुर्घटनात्मक अवरोधों को हटाने का अधिकार—जब कोई निजी मकान, दीवाल, या अन्य निर्माण या उनसे संबद्ध कोई अन्य वस्तु या कोई पेड़ गिर पड़े और अन्य सार्वजनिक नाली को अवरुद्ध करे या सड़क को घेर ले, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे अवरोध या घेरे को उसके स्वामी के व्यय से हटा सकता है और उस व्यय को अध्याय २१ में दी गई रीति से वसूल कर सकता है या नोटिस द्वारा स्वामी को आदेश दे सकता है कि वह नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर उसे हटा दे।

टिप्पणी

बाधा—भूमि के धरातल के नीचे किया गया कोई निर्माण भी बाधा हो सकेगा। वह ''या अन्य निर्माण'' के अर्थ के अन्तर्गत आयेगा, और उसको हटाया जा सकेगा। [*लोधाराम* बनाम *न०म०पा०, कानपुर,* १९८१ यू०पी०एल०बी०ई०सी० ११६]।

२९९. नियत दिन के पहले निर्मित या संस्थापित किसी ढाँचे या संलग्नक को हटाने के आदेश देने का अधिकार—(१) मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसे भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को, जिससे सटे हुए या जिसके सामने या जिससे कोई संबद्ध कोई ऐसी दीवाल, मेड़, कठघरा, खंभा, सीढ़ी, छप्पर या अन्य ढाँचा या संलग्नक, नियत दिन के पूर्व निर्मित या संस्थापित किया गया हो, जिसका निर्मित या संस्थापित किया जाना इस अधिनियम के अधीन अवैध हो, आदेश दे सकता है कि वह उक्त दीवाल, मेड़, कठघरे, खंभे, सीढ़ी, दूकान या अन्य ढाँचे या वस्तु को हटा दे।

(२) यदि भू–गृहादि का स्वामी या अध्यासी सिद्ध करे कि ऐसा बाहर निकला हुआ भाग, अतिक्रमण (encroachment) या अवरोध ऐसी अवधि से अस्तित्व में है जो सीमावधि के अधीन उसे रूढ़ि प्राप्त आगम (perscriptive title) देने के लिए पर्याप्त है (या यदि ऐसी अवधि ३० वर्ष से कम हो तो ३० वर्ष तक) या वह यह सिद्ध करे कि वह एतदर्थ यथावत् अधिकृत किसी ख१०[निगम] प्राधिकारी की सहमति से बनाया गया है, और यह सिद्ध करे कि वह अवधि, यदि कोई हो, जिसके लिए सहमति मान्य (valid) हो, समाप्त नहीं हुई है, तो [1][निगम] इसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे उसके हटाये या बदले जाने से क्षति पहुँचे, उचित प्रतिकर देगा।

टिप्पणी

नियुक्त दिन, अर्थात १–२–१९६० के पश्चात् किया गया निर्माण : धारा लागू नहीं होगी—निर्माण नियुक्त दिन के पर्याप्त पश्चात् अर्थात् १६–५–१९६३ को किया गया। यह धारा केवल तब लागू होती है जबकि निर्माण नियुक्त दिनांक अर्थात् ६–२–१९६० के पूर्व किया

गया हो। [*शिवसागर शुक्ल* बनाम *न०म०पा०, इलाहाबाद,* १९८४ यू०पी०एल०बी०ई०सी० २८३]।

३००. मुख्य नगराधिकारी त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर छप्पर, आदि खड़े करने की अनुमति दे सकता है—जिला मजिस्ट्रेट या ऐसे अन्य पदाधिकारी की, जिसे जिला मजिस्ट्रेट समय–समय पर एतदर्थ नाम–निर्देशित करें, सहमति से मुख्य नगराधिकारी उत्सवों और त्योहारों के अवसरों पर सड़कों पर छप्पर और ऐसा ही कोई अन्य ढाँचा अस्थायी रूप से निर्मित करने की लिखित अनुमति दे सकता है।

सड़कों पर या उनके निकट निर्माण–कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में उपबन्ध

३०१. सड़कों पर या उनके निकट निर्माण कार्यों का संपादन—जब कभी किसी सड़क पर या उसके निकट [ख११][निगम] की ओर से किसी निर्माण–कार्य का सम्पादन हो रहा हो तो मुख्य नगराधिकारी सुरक्षा और सुविधा के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करेगा, जिसे उसके लिये नियमों के अधीन करना अपेक्षित हो। जब पूवोक्त कोई निर्माण–कार्य या कोई ऐसा निर्माण–कार्य, जो विधितः सड़क पर संपादित किया जा सके, किया जा रहा हो तो मुख्य नगराधिकारी नियमों में दी गयी रीति से सड़क को गमनागमन के लिए पूर्णतया या अंशतः या किसी ऐसे गमनागमन के लिए, जिसे वह आवश्यक समझे, बन्द कर सकता है।

३०२. बिना अनुमति के सड़क न खोदी जाय, न तोड़ी जाय और न उन पर भवन सामग्री एकत्र की जाय—(१) मुख्य नगराधिकारी या किसी [१][निगम] के पदाधिकारी या नौकर से भिन्न कोई व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा या अन्य वैध प्राधिकार के बिना—

(क) किसी भूमि या खड़ंजे या किसी दीवाल, मेंड़, खंभे, जंजीर या किसी अन्य सामग्री या वस्तु को, जो [१][निगम] में निहित किसी सड़क का भाग हो या किसी खुली जगह में हो, न खोदे, न तोड़, न अपने स्थान से हटाये (displace), न उसमें कोई परिवर्तन करे और न उसे कोई क्षति पहुँचाये ;

(ख) [१][निगम] में निहित किसी सड़क या खुली जगह पर कोई भवन–सामग्री एकत्र न करे ;

(ग) [१][निगम] में निहित किसी सड़क या किसी खुली जगह पर किसी भी निर्माण–कार्य के प्रयोजन के लिये कोई पाढ़ (scaffold) या अन्य स्थायी निर्माण (erection) या गारा बनाने (making mortar) या ईटें, चूना, कूड़ा–करकट या अन्य सामग्री एकत्रित करने के लिए बाड़े के रूप में कोई खंभे, छड़ (bar) कठघरे, पट्टल (board) या अन्य वस्तुएँ न लगायें।

(२) उपधारा (१) के खंड (ख) या (ग) के अधीन दी गयी कोई अनुज्ञा मुख्य नगराधिकारी के विवेकानुसार उसके द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे अनुज्ञा दी गई हो, अनुज्ञा को समाप्त करने के सम्बन्ध में कम से कम २४ घंटे का लिखित नोटिस देने पर समाप्त की जा सकेगी।

(३) मुख्य नगराधिकारी बिना नोटिस दिये—

(क) ऐसी भूमि या खंड़जे या किसी दीवाल, मेंड़, खंभे, छड़ या अन्य सामग्री या वस्तु को, जो सड़क का भाग हो, उसी दशा में करवा सकता है, जैसी कि हव उपधारा (१) के अधीन मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा लिये बिना किसी प्रकार से खोदे जाने, तोड़े जाने, अपने स्थल से हटाये जाने या परिवर्तित किये जाने के पूर्व थी ;

(ख) उन दशाओं को छोड़कर, जिनमें उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन किसी सड़क पर भवन–सामग्री एकत्र करने की अनुज्ञा के लिये प्रार्थना–पत्र दिया गया हो और प्रार्थना–पत्र देने के दिनांक से सात दिन के भीतर प्रार्थी को कोई उत्तर न भेजा गया हो, किसी भवन–सामग्री या किसी पाढ़ (scoffold) या किसी अस्थायी निर्माण या बाड़े के रूप में किन्हीं खंभों,

छड़ों, कठघरों, पट्टलों या अन्य वस्तुओं को, जो किसी सड़क पर उपधारा (१) में निर्दिष्ट अनुज्ञा या प्राधिकार के बिना एकत्र की गई हो या लगायी गयी हो या जो ऐसी अनुज्ञा या प्राधिकार से एकत्रित की गई हो या लगायी गई हो, परन्तु उपधारा (२) के अधीन दिये गये नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर हटायी न गई हो, हटवा सकता है।

३०३. उन व्यक्तियों द्वारा जन–सुरक्षा के पूर्वोपायों (precautions) का किया जाना, जिन्हें धारा ३०२ के अधीन अनुज्ञा दी जाय—(१) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे धारा ३०२ के अधीन अनुमति दी जाय अपने व्यय से उस स्थान को, जहाँ भूमि या खड़ंजा खोदा गया हो या जहाँ उसने भवन–सामग्री एकत्र की हो या कोई पाढ़, निर्माण या अन्य वस्तु लगायी हो, उचित रूप से मेंड़ द्वारा घिरवायेगा और उसकी रक्षा करवायेगा और ऐसी सभी दशाओं में, जिनमें उसका दुर्घटना बचाना आवश्यक हो, रात्रि में उस स्थान पर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था करायेगा।

(२) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे धारा ३०२ के अधीन किसी सड़क की भूमि या खंड़जा खोदने या तोड़ने की अनुज्ञा दी गई हो या जो अन्य वैध प्राधिकार के अधीन किसी सड़क की भूमि या खंड़जा खोदे या तोड़े यथाशक्य पूर्ण वेग से उस निर्माण–कार्य को पूरा करेगा, जिसके लिये कि वह खोदा या तोड़ा जायगा और भूमि को भरेगा और उस खोदी या तोड़ी गई सड़क या खडंजे को अविलम्ब मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार फिर पूर्वावस्था में करके ठीक करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त व्यक्ति पूर्वोक्त प्रकार से सड़क या खंड़जे को ठीक करवा सकता है और ऐसा करने में मु ख्य नगराधिकारी द्वारा किया गया व्यय उक्त व्यक्ति को वहन करना पड़ेगा।

(३) मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे धारा ३०२ के अधीन किसी सड़क की भूमि या खंड़जा खोदने या तोड़ने की अनुमति दी गयी हो या जो किसी अन्य वैध प्राधिकार के अधीन किसी निर्माण–कार्य का सम्पादन करने के लिये किसी सड़क की भूमि या खंड़जा खोदे या तोड़े यह आज्ञा दे सकता है कि वह उसके सन्तोषानुसार उस सड़क से होकर भू–गृहादि को जाने वाले मार्ग को सुरक्षित रखने के निमित्त यातायात (traffic) के लिये मार्ग या उसके परावर्तन (passage of diversion) को और किसी नाली, जल–सम्भरण या प्रकाश के ऐसे साधनों को, जो उक्त निर्माण–कार्य के सम्पादन के कारण बाधित होते हों, व्यवस्था करे।

३०४. भवन, जो सड़कों के कोनों पर हों—(१) मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से लिखित आज्ञा द्वारा किसी ऐसे भवन के, जिसका निर्माण हो चुका हो या जिसका निर्माण होने वाला हो या जिसका पुनर्निर्माण या मरम्मत होनी हो और जो दो या अधिक सड़कों के संगम पर स्थित हो, कोने को ऐसी ऊँचाई पर और ऐसी रीति से, जिसे वह निर्धारित करे, गोल किये जाने या ढालू किये जाने (rounded and splayed) का आदेश दे सकता है और उक्त आज्ञा में चहारदीवारी (compound wall) या मेंड़ (fence) या आड़ (hedge) या किसी भी प्रकार की अन्य संरचना (structure) के संबंध में या उस भवन से सम्बद्ध भू–गृहादि पर कोई पेड़ लगाने या उसे रहने देने के संबंध में ऐसी शर्तें भी लगा सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई आज्ञा के कारण होने वाली किसी हानि या क्षति के लिये मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्रतिकर दिया जायगा।

(३) ऐसी प्रतिकर निर्धारित करने में उस लाभ का ध्यान रखा जायगा, जो उस भू–गृहादि को सड़कों के सुधार से प्राप्त हो।

आकाश–चिन्ह और विज्ञापन

३०५. आकाश–चिन्ह के संबंध में विनियम—(१) कोई व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना उस प्रकार का कोई आकाश–चिन्ह, जो नियमों के अनुसार विहित किया गया हो, चाहे वह नियत

दिन को विद्यमान हो या न हो, न खड़ा करेगा, न लगायेगा और न रहने देगा। ऐसी लिखित अनुज्ञा उक्त प्रत्येक अनुज्ञा या नवीकरण के दिनांक से किसी भी अवधि के लिये, जो दो वर्ष से अधिक न हो, दी या नवीकृत की जायगी, पर इस शर्त के अधीन कि ऐसी अनुज्ञा शून्य समझी जायगी, यदि—

(क) मुख्य नगराधिकारी के आदेशों के अधीन उस आकाश–चिन्ह को सुरक्षित बनाने के प्रयोजन के सिवाय इसमें अन्य कोई परिवर्धन किया जाय ;

(ख) आकाश–चिन्ह या उसके किसी भाग में कोई परिवर्तन किया जाय ;

(ग) आकाश–चिन्ह या उसका कोई भाग दुर्घटना से नष्ट हो जाने से या किसी अन्य कारण से गिर जाय ;

(घ) उस भवन या ढाँचे में, जिस पर या जिसे ऊपर आकाश–चिन्ह खड़ा किया गया हो, लगाया गया हो, या रहने दिया गया हो, कोई परिवर्धन या परिवर्तन किया जाय, जिसमें आकाश–चिन्ह या उसके किसी भाग का विस्थापन (disturbance) अन्तर्ग्रस्त हों ;

(ङ) वह भवन या ढाँचा, जिस पर या जिसके ऊपर आकाश–चिन्ह खड़ा किया गया हो, लगाया गया हो, रहने दिया गया हो, खाली हो जाय अथवा गिरा दिया जाय या नष्ट हो जाय।

(२) यदि उस अनुज्ञा के अननुकूल, जिसकी व्यवस्था इसके पूर्व की जा चुकी है, कोई आकाश–चिन्ह नियत दिन के पश्चात् किसी भूमि, भवन या ढाँचे पर या उसके ऊपर खड़ा किया जाय, लगाया या रहने दिया जाय, तो उस भूमि, भवन या ढाँचे के स्वामी या अध्यासी व्यक्ति (person in occupation) के संबंध में यह समण जायगा कि उसने इस धारा का उल्लंघन करके ऐसे आकाश–चिन्ह को खड़ा किया, लगाया या रहने दिया है, जब तक कि वह यह सिद्ध न करे कि उक्त उल्लंघन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो उसके नियोजन या नियंत्रण में नहीं था अथवा उसके अज्ञानाभिनय के बिना हुआ है।

(३) यदि कोई आकाश–चिन्ह इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी अवधि के लिए उसके खड़े किये जाने, लगाने या रहने दिये जाने के लिये दी गई आज्ञा समाप्त या शून्य हो जाने के पश्चात् खड़ा किया जाय, लगाया जाय या रहने दिया जाय, तो मुख्य नगराधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा उस भूमि, भवन या ढाँचे के स्वामी या अध्यासी को, जिस पर या जिसके ऊपर आकाश–चिन्ह खड़ा किया, गया या रहने दिया गया हो, ऐसे आकाश–चिन्ह को उतारने और हटा देने का आदेश दे सकता है।

३०६. विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण—(१) मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा किसी भूमि, भवन, दीवाल, बाढ़ (hoarding) या संरचना के स्वामी या उसमें अध्यासीन व्यक्तियों को उस अवधि के भीतर जो नोटिस में निर्दिष्ट की गई हो, उस भूमि, भवन, दीवान, भोजनालय या ढाँचे पर के किसी विज्ञापन के उतारने या हटा देने का आदेश दे सकता है।

(२) यदि विज्ञापन उस अवधि के भीतर उतारा या हटाया न जाय तो मुख्य नगराधिकारी उसे उतरवा या हटवा सकता है, और उसके उतारने या हटाने में उचित रूप से किया गया व्यय ऐसे स्वामी या व्यक्ति द्वारा वहन किया जायगा।

(३) इस धारा के उपबन्ध किसी ऐसे विज्ञापन पर लागू नहीं होंगे, जो—

(क) किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किया जाता हो ;

(ख) ऐसे व्यापार या कारबार (trade or business) से संबंध रखता हो जो उस भूमि या भवन के भीतर किया जाता हो या जो उस भूमि या भवन या उनके किसी सामान (effects) के किसी विक्रय या उसे किराये पर उठाने से संबंध रखता हो या जो उनमें आयोजित किये जाने वाले किसी विक्रय, मनोरंजन या अधिवेशन (meeting) से संबंध रखता हो ;

(ग) किसी रेल प्रशासन के कारबार से संबंध रखता हो ;

(घ) किसी रेलवे स्टेशन के भीतर या रेल प्रशासन की किसी दीवाल या अन्य सम्पत्ति के ऊपर प्रदर्शित किया जाता हो, सिवाय ऐसी दीवाल या सम्पत्ति की सतह (surface) के उस भाग के जो किसी सड़क के सामने हो।

खतरनाक स्थान व ऐसे स्थान, जहाँ कोई ऐसा निर्माण–कार्य किया जा रहा हो, जिससे जनता की सुरक्षा व सुविधा पर प्रभाव पड़ता हो

३०७. सड़क से सटे हुए किसी भवन पर निर्माण–कार्य के समय बाड़ों का लगाया जाना—(१) कोई व्यक्ति, जो किसी भवन या दीवाल को बनाने, गिराने या फिर से बनाने या किसी भवन या दीवाल के किसी भाग में परिवर्तन करने या उसकी मरम्मत करने का विचार करता हो, ऐसी किसी भी दशा में, जिसमें उससे सटी हुई किसी सड़क की पगडंडी अवरुद्ध या कम सुविधाजनक हो जाय, ऐसा करना तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक कि वह पहले सुविधाजनक मचान और कटेहरा सहित, यदि उसके लिए पर्याप्त स्थान हो, और मुख्य नगराधिकारी उसे वांछनीय समझें, उचित और पर्याप्त बाड़ (hoarding) में मेड़ न लगवा ले, जो ऐसे बाड़ या मेड़ के बाहर यात्रियों के लिए पगडंडी का काम देगा।

(२) कोई बाड़ या मेड़ मुख्य नगराधिकारी के लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना उक्त प्रकार से न लगायी जायगी, और प्रत्येक ऐसा तख्ता या मेड़, जो ऐसी अनुज्ञा से पूर्वोक्त मचान और कटेहरा सहित लगायी गयी हो, निर्माण–कार्य सम्पादित करने वाले व्यक्ति द्वारा मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार उस समय तक के लिये, जो सार्वजनिक सुरक्षा और सुविधा के लिए आवश्यक हो, खड़ी रहने दी जायगी और ऐसी सभी दशाओं में, जिनमें वह दुर्घटनाएँ बचाने के लिये आवश्यक हों, उक्त व्यक्ति उस बाड़ या दीवार पर रात्रि में प्रकाश की अच्छी व्यवस्था करेगा।

(३) मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को इस प्रकार लगाये गये किसी बाड़ या मेड़ को हटाने का आदेश दे सकता है।

३०८. मुख्य नगराधिकारी खतरनाक या ऐसे स्थानों की, जहाँ कोई ऐसा निर्माण–कार्य किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा और सुविधा पर प्रभाव पड़ता हो, मरम्मत या उन्हें घेरने (enclosing) की कार्यवाही करेगा—(१) यदि कोई स्थान मुख्य नगराधिकारी की राय में किसी सड़क के यात्रियों या उसके पास–पड़ोस के लिए पर्याप्त मरम्मत, संरक्षण (protection) या घेरे के न होने के कारण या उस पर कोई निर्माण–कार्य सम्पादित किये जाने के कारण, संकटप्रद हो या यदि कोई ऐसा निर्माण–कार्य मुख्य नगराधिकारी की राय में उन व्यक्तियों की सुरक्षा या सुविधा पर प्रभाव डालता हो, तो वह लिखित नोटिस द्वारा उसके स्वामी या अध्यासी को उक्त स्थान की मरम्मत करने, उसका संरक्षण करने या उसे घेरने या अन्य ऐसी कार्यवाही करने का, जो मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो, आदेश दे सकता है, ताकि उससे उत्पन्न होने वाले संकट का निवारण हो सके या उक्त व्यक्तियों की सुरक्षा या सुविधा सुनिश्चित हो जाय।

(२) मुख्य नगराधिकारी ऐसा कोई नोटिस देने से पूर्व या ऐसे नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व उक्त स्थान से होने वाले संकट के निवारणार्थ या उस निर्माण–कार्य पर सुरक्षा या सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अस्थायी कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह ठीक समझे और ऐसी अस्थायी कार्यवाही करने में मुख्य नगराधिकारी द्वारा किया गया व्यय उस स्थान के, जिसके सम्बन्ध में नोटिस दिया गया हो, स्वामी या अध्यासी को वहन करना पड़ेगा।

३०९. गिराने के कार्य के समय संरक्षण की कार्यवाहियाँ—(१) कोई व्यक्ति जो किसी भवन या उसके किसी भाग को गिराने का विचार करता हो, ऐसा करना तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक कि वह उक्त बाड़ या मेड़ के अतिरिक्त, जिसकी धारा ३०७ के अधीन, व्यवस्था करना उसके लिए अपेक्षित हो, उस भवन के चारों ओर उसकी पूरी ऊँचाई तक आवरण (screen) की व्यवस्था न कर ले ताकि आस–पास की वायु की धूल से दूषित होने से अथवा मलवें, ईंटों, लकड़ी और अन्य सामान के गिरने से होने वाली क्षति (injury) या हानि को बचाया जा सके।

(२) यदि कोई निर्माण–कार्य उपधारा (१) का उल्लंघन करके प्रारम्भ किया जाय, तो मुख्य नगराधिकारी उसे तुरन्त बन्द करवा सकता है और ऐसे व्यक्ति को, जो उसे करवा रहा हो, पुलिस पदाधिकारी द्वारा भू–गृहादि से हटवा सकता है।

सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना

३१०. सार्वजनिक सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था की जायगी—(१) मुख्य नगराधिकारी—

(क) सार्वजनिक सड़कों [ख१२][निगम] उद्यानों और खुले स्थानों तथा [१][निगम] बाजारों और [१][निगम] में निहित सभी भवनों पर, उपयुक्त रीति से रोशनी के लिए उपाय करेगा ;

(ख) बत्तियों, बत्तियों के खम्भों और उनसे सम्बद्ध अन्य ऐसी वस्तुओं को उतनी संख्या में प्राप्त करेगा, लगायेगा और संधारित करेगा, जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों ; और

(ग) उक्त बत्तियों को तेल, गैस, बिजली या अन्य ऐसी रोशनी से जलवायेगा, जिसे [१][निगम] समय–समय पर निर्धारित करे।

(२) मुख्य नगराधिकारी प्रतिकर के किसी दावे का उत्तरदायी हुए बिना उक्त बत्तियों को जलाने के लिए किसी अचल संपत्ति के नीचे, ‼ ऊपर संपत्ति के नीचे, ऊपर, साथ–साथ या आर–पास बिजली के तार रख सकता और संधारित कर सकता है और बत्तियों या बिजली के तार को ले जाने, निलंबित करने और सहारा देने के लिए खम्भे, बल्लियाँ, घ्वजदंड, रोक, अवलम्ब, ब्रेकेट्स और अन्य युक्ति किसी अचल सम्पत्ति में या पर रख सकता है और पारित कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे तार, खम्भे, बल्लियाँ, घ्वजदंड, रोक, अवलम्ब, ब्रेकेट्स और अन्य युक्ति इस प्रकार रखे जायेंगे कि उनके कारण किसी व्यक्ति को न्यूनतम व्यावहारिक असुविधा या अपदूषण न पैदा हो।

सड़कों पर पानी का छिड़काव

३११. सड़कों पर पानी के छिड़काव के लिए उपाय—मुख्य नगराधिकारी—

(क) सार्वजनिक सड़कों पर ऐसे समय और मौसमों में और ऐसी रीति से, जिसे वह ठीक समझे, पानी के छिड़काव के लिये उपाय कर सकता है।

(ख) ऐसे वाहनों, पशुओं और स्थिर–यंत्रों (inapparatus) को, जिसे वह उक्त प्रयोजन के लिये ठीक समझे, प्राप्त और संधारित कर सकता है।

विविध

३१२. सड़कों की बत्तियों या अन्य [निगम] संपत्ति को हटाने, आदि का प्रतिबन्ध—

(१) कोई व्यक्ति बिना वैध (lawful) प्राधिकार के—

(क) किसी बत्ती, बत्ती के खंभे या बत्तियों की जाली (lamp siron) को, जो किसी सार्वजनिक सड़क पर या [१][निगम] उद्यान, खुले स्थान या बाजार या [१][निगम] में निहित भवन में लगाई गयी हो ;

(ख) किसी बिजली के तार को, जो उक्त किसी बत्ती को जलाने के लिये हो ;

(ग) किसी खंभे, बल्ली, ध्वजदंड, रोक, अवलम्ब, ब्रेकेट या अन्य युक्ति को, जो ऐसे किसी बिजली के तार या बत्ती को ले जाने, निलम्बित करने या सहारा देने के लिए हो ;

(घ) किसी सड़क पर [ख१३][निगम] की किसी संपत्ति को न ले जायेगा, न जानबूझकर तोड़ेगा, न नीचे फेंकेगा और न क्षति पहुँचायेगा और कोई व्यक्ति किसी बत्ती को जानबूझकर न बुझायेगा और न किसी बत्ती से सम्बद्ध किसी वस्तु को क्षति पहुँचायेगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति उपेक्षा से या दुर्घटनावश या अन्यथा किसी सार्वजनिक सड़क या [१][निगम] बाजार, उद्यान या सार्वजनिक स्थान या [१][निगम] में निहित भवन पर लगायी गई किसी बत्ती को तोड़ेगा या किसी सड़क पर [१][निगम] की किसी सम्पत्ति को तोड़ेगा या उसे क्षति पहुँचायेगा, तो उसे इस प्रकार की गई क्षति की मरम्मत कराने के व्यय को वहन करना होगा।

३१३. राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को नगर की सीमा के बाहर प्रवृत्त कर सकती है—राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा किसी ऐसे क्षेत्र में, जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट किया जायगा, किन्तु जो नगर की सीमाओं से दो मील से अधिक दूर न होगा, इस अध्याय की किसी धारा और तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों को ऐसे अनुकूलनों के अधीन चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक और इष्टकर समझे, प्रवृत्त कर सकती है और तदुपरान्त उपर्युक्त रूप में प्रवृत्त उपबन्ध और नियम उसी प्रकार प्रभावशील होंगे मानो कि वह नगर के भीतर हों।

३१४. नियम बनाने का अधिकार—(१) इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) उपर्युक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुए ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) रीति, जिससे धारा २७३ के अधीन [१][निगम] किसी सार्वजनिक सड़क को बन्द करने की स्वीकृति देगा और ऐसी सड़क के स्थल का निस्तारण ;

(ख) रीति, जिससे धारा २७६ के अधीन किसी वर्तमान पंक्ति के स्थान पर सड़क की नयी पंक्ति विहित करने के लिए कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति दी जायगी।

(ग) रीति, जिससे कोई व्यक्ति धारा २८७ के अधीन भूमि को भवन के प्रयोजनों के लिए बेचने या पट्टे पर देने (let) आदि या किसी निजी सड़क के विन्यास करने के अपने अभिप्राय का, नोटिस देगा और वह प्रक्रिया, जिसे मुख्य नगराधिकारी ऐसे नोटिस पर कार्यवाही करने में, जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त सूचना और प्रमाणीकृत नक्शा (plan) माँगना भी है, अपनायेगा ;

(घ) धारा ३०१ के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा और सुविधा के लिए उस समय की जाने वाली कार्यवाही जब सड़कों पर या उनके पास किसी निर्माण–कार्य का संपादन हो रहा हो।

———————

ख१. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख२. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख३. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा शब्द ''महापालिका'' के स्थान पर प्रतिस्थापित

ख४. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख५. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित।

ख६. उ०प्र० अधिनियम सं० १२, १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख७. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख८. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख९. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित।

ख१०. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख११. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख१२. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख१३. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित